उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 28.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 अवनीश कुमार यादव व उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त प्रदीप पुत्र उदयभान लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 27/14 अ0सं0 67/14 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डीए आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर व धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
2. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा

गिरफ्तार अभियुक्त–

प्रदीप पुत्र उदयभान लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध बन्दूक तथा जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में कानून व्यवस्था बनाये रखने व प्रचलित त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 28.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह के द्वारा गठित की गई उ0नि0 गौरव चौबे, चौकी प्रभारी सुभाष के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चन्दपुरा एफसीआई गोदाम के पास से अवैध बन्दूक के साथ एक नफर अभियुक्त उमेश राजपूत पुत्र करन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 01 अदद एकनाली बन्दूक 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज की बरामदगी की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 100/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी विवरण-

उमेश राजपूत पुत्र करन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद एकनाली बन्दूक 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी प्रभारी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर महोबा

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में कानून व्यवस्था बनाये रखने व प्रचलित त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 28.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गयी उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र अन्तर्गत कानपुर-सागर हाइवे कस्बा कबरई के पास से 01 नफर अभियुक्त सुनील कुमार सेन पुत्र रामशरन सेन निवासी लौड़ा पहाड़ मोचीपुरा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 41 वर्ष को हिरासत में लिया है, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर थाना कबरई में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 60/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी विवरण-

1. सुनील कुमार सेन पुत्र रामशरन सेन उम्र 41 वर्ष निवासी लौड़ा पहाड़ मोचीपुरा थाना कबरई जनपद महोबा । जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम
2. हे0कां0 संदीप कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.02.2025
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने वाले हत्या के 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रक्तरंजित लाठी हुई बरामद-

दिनांक- 26.02.2025 को थाना महोबकंठ क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम कनौरा में एक व्यक्ति के साथ गाँव के ही तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा मामूली बात को लेकर मारपीट कर दी गयी थी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मजरूब को उपचार हेतु जनपद झाँसी अस्पताल ले जाया गया जहाँ दौराने उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 36/2025 धारा 115(2)/352/109(1)/110/103(1)/3(5) BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5/3(2)5क SC/ST ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 28.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने हत्या की घटना कारित करने वाले 03 नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1.चन्दू उर्फ चन्द्रभान कुशवाहा पुत्र छिदामी कुशवाहा 40 वर्ष निवासी ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ महोबा, 2.चेतराम पुत्र बहादुर कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ महोबा,3.नोना उर्फ करण अहिरवार पुत्र राधे अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत कनौरा गांव के पहले जामुन के पेड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद रक्तरंजित लाठी बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. चन्दू उर्फ चन्द्रभान कुशवाहा पुत्र छिदामी कुशवाहा 40 वर्ष
2. चेतराम पुत्र बहादुर कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष
3. नोना उर्फ करण अहिरवार पुत्र राधे अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ महोबा

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद रक्तरंजित लाठी बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी 2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
3. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा 4. कां0 विजय निरंकारी थाना महोबकंठ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 28.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 90 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन धरपकड़ अभियान के तहत दिनांकः-27.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल मय हमराह कां0 नरेन्द्र बाबू व कां0 सुभम कुमार नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र अन्तर्गत सुरहा-परसहा तिराहे के पास से अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1.रवि कुमार पुत्र जगमोहन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मवई खुर्द थाना खन्ना जिला महोबा, 2.रामू पुत्र बाबू सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दो प्लास्टिक की बोरी में क्रमशः 45-45 क्वार्टर झूम ब्राण्ड की अवैध देशी शराब बरामद की गई हैं । बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई में क्रमशः मु0अ0सं0 61/25 व मु0अ0सं0 61/25 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल
2. कां0 नरेन्द्र बाबू
3. कां0 सुभम कुमार

बरामद सम्पत्तिः-

अभियुक्तगण के कब्जे से दो प्लास्टिक की बोरी में क्रमशः 45-45 क्वार्टर झूम ब्राण्ड देशी शराब झूम नाजायज बरामद होना ।

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महाकुम्भ में बिछडे वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए देवदूत बनी थाना कबरई पुलिस...

अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश व पंजाब में निवासित परिजनों से संपर्क स्थापित कर किया सुपुर्द, परिवार में लौटी खुशियां, परिजनों द्वारा थाना कबरई पुलिस की जमकर प्रशंसा की गई और धन्यवाद ज्ञापित किया गया...।

दिनांक- 27.02.2025 को थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्र भ्रमण पर थी कि पुलिस टीम को थानाक्षेत्र अन्तर्गत छंगा तिराहे के पास एक वयोवृद्ध व्यक्ति टहलता दिखाई दिया, जिस पर उनके पास जाकर उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम रतन चाद पुत्र स्व0 दीनानाथ उम्र करीब 80 वर्ष निवासी मोहल्ला ओल्ड मटौर थाना कंगडा राज्य हिमाचल प्रदेश बताया साथ ही बताया कि वह महाकुम्भ में स्नान के लिए अपने परिवार के साथ गया हुआ था, जहां से वह भटक कर रास्ते की जानकारी के आभाव में वह यहां आ गया है।

इस सूचना पर थाना कबरई पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में थाने लाया गया व उनके खाने-पीने की समुचित व्यवस्था कर वयोवृद्ध व्यक्ति को उनके परिजनों तक पहुचाने के कार्य में लग गयी।

कबरई पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित थाने व अन्य स्थानों में संपर्क किया गया, जिसके क्रम में कड़ी मशक्कत के उपरान्त उनके परिजनों को सूचना प्रेषित की गयी।

इसी क्रम में गुमशुदा वयोवृद्ध व्यक्ति के परिजन थाना कबरई उपस्थित आये, जिनको उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। परिजनों द्वारा अपने परिवारीजन को सकुशल मिल जाने पर बेहद खुशी जाहिर करते हुए, थाना कबरई, महोबा पुलिस की जमकर प्रशंसा की गई और धन्यवाद ज्ञापित किया गया है...।

- **परिजनों से मिलाने वाली पुलिस टीम-**

1. निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा, SHO कबरई।
2. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा 3. उ0नि0 मनोज कुमार
4. कां0 प्रमोद कुमार